

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य/मा-द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022-23/05

दिनांक: 30-4-22

1. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा।
2. समस्त संस्था प्रधान महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय।

विषय:- स्थापित/रूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) /अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों का शिक्षण/प्रवेश कार्य संचालन के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक:-3 दिनांक:-29.04.2022 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रांसगिक पत्र द्वारा स्थापित/रूपान्तरित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालयों (अंग्रेजी माध्यम) एवं राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में सत्र: 2022-23 हेतु नवीन प्रवेश प्रक्रिया/शिक्षण कार्य प्रारम्भ करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी दिशा-निर्देशों की पालना करने के साथ साथ, शासकीय पत्रांक:-प04(15)शिक्षा-1/2019 जयपुर, दिनांक:-14.06.2019 (संलग्न) में उक्त प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों तथा समय-समय पर जारी अन्य संबंधित दिशा-निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपर्युक्तानुसार।



  
उपनिदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक:शिविरा/मा/माध्य/मा-द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/ 66181/2022-23/05

दिनांक: 30-4-22

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

3. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदय।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
8. शासन उप सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग राजस्थान, जयपुर।
9. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) - माध्यमिक/प्रारम्भिक।
11. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
12. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. रक्षित पत्रावली।

  
उपनिदेशक (माध्यमिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर

राजस्थान सरकार  
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 04(15)शिक्षा-1/2019

जयपुर, दिनांक : 14/06/2019


निदेशक,  
माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर।

विषय :- राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" की स्थापना के सम्बन्ध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला मुख्यालय के 33 विद्यालयों को प्रथम चरण में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये गए इन विद्यालयों का संचालन शैक्षणिक सत्र 2019-20 से प्रारम्भ किया जायेगा। संचालन के लिए विस्तृत दिशा-निर्देशों का वर्णन योजना में किया गया है।


संलग्न : योजना एवं जिलेवार 33 विद्यालयों की सूची।

भवदीय,  
  
14/06/2019  
(प्रदीप गोयल)

शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा।
5. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उदयपुर।
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राज. बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, जयपुर।
9. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
11. उप निदेशक (माध्यमिक), निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
12. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
13. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय (माध्यमिक/प्रारम्भिक)
14. उपनिदेशक, योजना, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर।
15. शिक्षा (ग्रुप-2, 5, 6) विभाग।
16. समस्त, प्रधानाचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान।
17. नोडल अधिकारी शाला दर्शन/शाला दर्पण को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त विद्यालय को अपलोड करवाने की सुनिश्चितता करावें।
18. रक्षित पत्रावली।

  
14.6.19  
(डॉ. रणवीर सिंह)  
विशेषाधिकारी-शिक्षा

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय  
विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किये जाने  
हेतु जिलेवार 33 राजकीय विद्यालयों की सूची

क्र. सं.	जिला	प्रस्तावित राजकीय विद्यालय का नाम जिसको महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में रूपान्तरित किया जाना है	परिवर्तन बाद विद्यालय का नाम
1	Ajmer	राउमावि वैशाली नगर, अजमेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय वैशाली नगर, अजमेर
2	Alwar	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नयाबांस, अलवर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नयाबांस, अलवर
3	Banswara	राउमावि खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खान्दु कॉलोनी, बांसवाडा
4	Baran	राउमावि स्टेशन रोड, बारां	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बारां
5	Barmer	राउमावि स्टेशन रोड, बाडमेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन रोड, बाडमेर
6	Bharatpur	राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिविल लाईन्स, भरतपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिविल लाईन्स, भरतपुर
7	Bhilwara	राउमावि लेबर कॉलोनी, भीलवाडा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय लेबर कॉलोनी, भीलवाडा
8	Bikaner	राउमावि मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर
9	Bundi	रा. आदर्श उमावि बालचन्द्रपाडा, वार्ड नं. 1, बून्दी	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय बालचन्द्रपाडा, वार्ड नं. 1, बून्दी
10	Chittorgarh	राबाउमावि स्टेशन चित्तौडगढ	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय स्टेशन चित्तौडगढ
11	Churu	राउप्रावि नं. 15, चूरु	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नं. 15, चूरु
12	Dausa	राउमावि रेल्वे स्टेशन, दौसा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रेल्वे स्टेशन, दौसा
13	Dholpur	राउमावि सिटी कोतवाली, धौलपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय सिटी कोतवाली, धौलपुर
14	Dungarpur	राबाउमावि टाउन, डूंगरपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय टाउन, डूंगरपुर
15	Hanumangarh	रा बालिका उमावि हनुमानगढ जंक्शन	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हनुमानगढ जंक्शन, हनुमानगढ
16	Jaipur	राबाउमावि मानसरोवर, जयपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मानसरोवर, जयपुर

17	Jaisalmer	राउप्रावि इंगानप, जैसलमेर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय इंगानप, जैसलमेर
18	Jalore	राबाउमावि शिवाजीनगर, जालौर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय शिवाजीनगर, जालौर
19	Jhalawar	राउमावि कलकट्टी, झालावाड	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय कलकट्टी, झालावाड
20	Jhunjhunu	राउप्रावि खीदरसर, झुंझुनू	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय खीदरसर, झुंझुनू
21	Jodhpur	राउमावि चैनपुरा, जोधपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय चैनपुरा, जोधपुर
22	Karauli	राबामावि, करौली	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय करौली
23	Kota	राउमावि मल्टीपरपज गुमानपुरा, कोटा	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय मल्टीपरपज गुमानपुरा, कोटा
24	Nagaur	राबाउमावि गिन्नाणी, नागौर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गिन्नाणी, नागौर
25	Pali	रामावि पुनायता, पाली	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पुनायता, पाली
26	Pratapgarh	राउप्रावि पालीवाल गली, प्रतापगढ़	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय पालीवाल गली, प्रतापगढ़
27	Rajsamand	राउमावि, राजनगर, राजसमन्द	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय राजनगर, राजसमन्द
28	S. Madhopur	राउमावि साहूनगर, स.माधोपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय साहूनगर, स.माधोपुर
29	Sikar	रा. श्री हिन्दी विद्या भवन सैकण्डी स्कूल, सीकर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सीकर
30	Sirohi	राउमावि नवीन भवन, सिरोही	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय नवीन भवन, सिरोही
31	Shri Ganganagar	राउमावि हरिजन बस्ती, श्री गंगानगर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय हरिजन बस्ती, श्री गंगानगर
32	Tonk	राबाउमावि गुलजार बाग, टोंक	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय गुलजार बाग, टोंक
33	Udaipur	राउमावि धानमण्डी, उदयपुर	महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय धानमण्डी, उदयपुर

*[Handwritten signature]*

# राजस्थान सरकार

शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प. 04(15)शिक्षा-1/2019

जयपुर, दिनांक : 14/06/2019

## महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) योजना (स्तर प्रथम से बारहवीं तक)

### 1. प्रस्तावना :-

देश के सबसे बड़े राज्य राजस्थान में शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति के लिए अभी भी और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। वर्तमान समय वैश्वीकरण (Globalisation) का है। शिक्षा में सतत विकास के वैश्विक लक्ष्यों के साथ संरेखण (Alignment with Global sustainable development goals) करने के लिए वैश्विक शिक्षा के विकास एजेंडा की दिशा में सतत प्रयास करने की महती आवश्यकता है। जिसके लिए अंग्रेजी का ज्ञान होना आवश्यक है जिससे राज्य के विद्यार्थी वैश्विक समुदाय के साथ संरेखण कर अपना भविष्य तलाश सकें। राजस्थान हिंदी भाषी प्रदेश होने से प्रायः देखा जा रहा है कि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत अधिकतर विद्यार्थी अंग्रेजी में अपेक्षाकृत उपलब्धि प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसी स्थिति में राजकीय विद्यालयों में अंग्रेजी माध्यम का वातावरण उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से राज्य में "राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" कक्षा एक से बारहवीं तक, स्थापित करने का निर्णय लिया गया है ताकि राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थी भी वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकें। इन विद्यालयों को जिलों एवं ब्लॉक में उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित किया जायेगा।

### 2. स्थापना :-

राज्य में 33 जिला मुख्यालयों पर और 301 ब्लॉक मुख्यालयों पर चरणबद्ध रूप से आगामी वर्षों में इनकी स्थापना की जाएगी :-

1. प्रत्येक जिले के मुख्यालय पर एक से अधिक राजकीय उच्च माध्यमिक/माध्यमिक स्तर के विद्यालय स्थित हैं, इनमें से ही किसी एक विद्यालय का चयन कर "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में रूपांतरित किया जायेगा।
2. प्रथम चरण में "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" प्रथम कक्षा से आठवीं तक के स्तर पर प्रारंभ किये जाएंगे जिनमें प्रथम वर्ष में प्रथम से आठवीं तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। आगामी वर्षों में क्रमशः नवीं, दसवीं, ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा संचालित की जाएगी। इस प्रकार से स्थापना के चतुर्थ वर्ष में विद्यालय का स्तर प्रथम से बारहवीं स्तर तक का होगा।
3. उस विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थी यदि अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा नियमित नहीं रखना चाहते हों, तो उन्हें राजकीय के हिन्दी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाएगा और अंग्रेजी माध्यम के इच्छुक विद्यार्थी अपने अध्ययन को अंग्रेजी माध्यम में नियमित रख सकेंगे।
4. इन विद्यालयों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
5. "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर से सम्बद्ध रहेगा। पूर्व विद्यालय की सम्बद्धता का स्थानान्तरण नवीन विद्यालय के रूप में बोर्ड द्वारा किया जाएगा।
6. "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए RTE के मानकों के अनुरूप सैक्शन निर्धारित किये जायेंगे। कक्षा एक से पांच तक 30, छः से आठ में 35 एवं नवीं से बारहवीं तक 60 विद्यार्थी प्रति सैक्शन निर्धारित रहेंगे। राज्य सरकार आवश्यकतानुसार इसमें समय-समय पर समीक्षा उपरान्त परिवर्तन करेगी।

3. शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक स्टाफ के मानदण्ड :-

1. शैक्षिक स्टाफ :- (I) एक से कक्षा दसवीं तक के लिए :

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विषय	विशेष विवरण
1	प्रधानाचार्य (Principal)	1	-	विभाग में कार्यरत प्रधानाचार्य उच्च मा.वि. समकक्ष अधिकारी, जो कुशल नेतृत्वकर्ता के साथ-साथ अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये।
2	अध्यापक लेवल -1	5	-	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल -1 यथा सम्भव अंग्रेजी-2, गणित, पर्यावरण, हिन्दी विषय के शिक्षकों का चयन किया जाये। (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
3	अध्यापक लेवल -2	2	अंग्रेजी, गणित	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल -2 शिक्षक (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
4	वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-2	8	अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, हिन्दी, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान	विभाग में कार्यरत वरिष्ठ अध्यापक (सभी विषयों के अध्यापक अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
5	वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक	1	-	विभाग में कार्यरत वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
6	पुस्तकालयाध्यक्ष	1	-	विभाग में कार्यरत पु. अ. (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
7	प्रयोगशाला सहायक	1	-	विभाग में कार्यरत प्र.शा.स. (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)
8	कम्प्यूटर शिक्षक	1	-	विभाग में कार्यरत अध्यापक लेवल -1/2 समकक्ष शिक्षक जो RSCIT/PGDCA/BCA/ MCA की योग्यता धारक हों। (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो, को प्राथमिकता दी जाये)

8/11/20

- (II) ग्यारहवीं एवं बारहवीं कक्षा प्रारंभ होने पर संकाय के अनुसार पांच व्याख्याताओं के पद सृजित कर स्वीकृत संकाय/विषय अनुरूप दो/तीन वरिष्ठ अध्यापकों के पद कम किये जायेंगे। सम्बन्धित विषयों के व्याख्याताओं का चयन किया जायेगा। चयन में अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष को प्राथमिकता दी जायेगी।

2. गैर शैक्षिक स्टाफ :

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	विशेष विवरण
1	वरिष्ठ सहायक	1	
2	कनिष्ठ सहायक	1	कनिष्ठ सहायक कम कम्प्यूटर ऑपरेटर
3	सहायक कर्मचारी	3	

4. शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ का चयन :-

1. (i) "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" हेतु शिक्षा विभाग में कार्यरत दक्ष शिक्षकों (अंग्रेजी भाषा संप्रेक्षण कौशल में दक्ष हो को प्राथमिकता दी जाये।) में से योग्य शिक्षकों को साक्षात्कार (Walk in Interview) लेकर चयनित किया जाएगा। उक्त विद्यालय में पूर्व से कार्यरत शिक्षक भी साक्षात्कार में भाग ले सकेंगे। चयनित नहीं हो पाने वाले शिक्षकों को अन्यत्र समायोजित किया जा सकेगा।

(ii) अधिशेष शिक्षकों के समायोजन की प्रक्रिया :

इन विद्यालयों की स्थापना के प्रथम वर्ष में कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित की जाएगी। शेष कक्षाएं यथावत संचालित की जाती रहेंगी।

कक्षा प्रथम से आठवीं तक अंग्रेजी माध्यम के शिक्षकों का चयन किये जाने पर अधिशेष शिक्षकों का समायोजन सक्षम अधिकारी द्वारा अन्य विद्यालयों में किया जायेगा। वरिष्ठ अध्यापक एवं व्याख्याता पूर्ववत कार्य करते रहेंगे। आगामी वर्षों में जैसे-जैसे अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं उत्तरोत्तर बढ़ती जायेंगी, स्टाफ के चयन के कारण अधिशेष हुए वरिष्ठ अध्यापकों एवं व्याख्याताओं का समायोजन अन्यत्र किया जायेगा।

*S. S. S.*



(iii) पदों का प्रावधान :

“महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)” के रूप में संचालित किये जाने वाले विद्यालय में पूर्व स्वीकृत पदों को इन विद्यालयों में रूपान्तरित किया जायेगा। स्वीकृत पद कम या नहीं होने की स्थिति में विभाग में उपलब्ध आरक्षित पदों में से पदों का आवंटन किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यक पद स्वीकृत करने के प्रस्ताव निदेशालय द्वारा राज्य सरकार को प्रेषित किये जायेंगे। वेतन आहरण एवं पदों के लिए आवश्यक प्रक्रिया निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जायेगी।

2. गैर-शैक्षिक स्टाफ का चयन साक्षात्कार (Walk in Interview) के माध्यम से किया जाएगा।

3. स्टाफ चयन समिति :

I. प्रधानाचार्य के चयन हेतु राज्य स्तरीय समिति :

- |       |   |              |
|-------|---|--------------|
| (i)   | निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर  | — अध्यक्ष    |
| (ii)  | प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि                                   | — सदस्य      |
| (iii) | आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा मनोनीत प्रतिनिधि                                      | — सदस्य      |
| (iv)  | राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर | — सदस्य      |
| (v)   | उप निदेशक (माध्यमिक) निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर  | — सदस्य सचिव |

II. शैक्षिक एवं गैर-शैक्षिक स्टाफ के चयन हेतु जिला स्तरीय समिति :

- |       |   |              |
|-------|---|--------------|
| (i)   | मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी   | — अध्यक्ष    |
| (ii)  | प्रतिनिधि राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं पदेन अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर | — सदस्य      |
| (iii) | प्रतिनिधि निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर   | — सदस्य      |
| (iv)  | प्रधानाचार्य, सम्बन्धित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट)  | — सदस्य      |
| (v)   | प्रधानाचार्य, सम्बन्धित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय   | — सदस्य      |
| (vi)  | संबन्धित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक  | — सदस्य सचिव |

राज्य एवं जिला स्तरीय चयन समिति में प्रतिनिधियों का मनोनयन संबंधित अधिकारी द्वारा किया जायेगा। चयन समिति द्वारा पैनल बनाकर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर को भेजा जायेगा, जिसका अनुमोदन राज्य सरकार से होने पर पदस्थापन आदेश सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किये जायेंगे।

## 5. भौतिक अवसंरचना (Physical Infrastructure) :-

### 1. विद्यालय भवन :

चयनित विद्यालय का भवन ही "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" का भवन होगा। प्राथमिक कक्षाओं के लिए कक्षा-कक्षों को गतिविधि आधारित शिक्षण (Activity Base Learning Rooms) कक्षों के रूप में रूपांतरित किया जायेगा। उपलब्ध संसाधनों की कमी की स्थिति में प्राथमिकता से कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल मैदान, पेयजल सुविधा, बालक व बालिकाओं के लिए पृथक्-पृथक् शौचालय, विद्युत कनेक्शन, फर्नीचर, ABL कक्षा-कक्ष, नेट कनेक्टिविटी की सुनिश्चितता, स्मार्ट क्लास, गणित-विज्ञान कक्ष आदि की उपलब्धता चरणबद्ध रूप से अग्रिकित विवरणानुसार की जायेगी ताकि विद्यालय उत्कृष्टता के केन्द्र (Centre of Excellence) के रूप में विकसित हो सके।

- (i) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना में उपलब्ध कमियों (GAPS) के आधार पर प्लान तैयार किया जाकर भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार निर्माण कार्य करवाये जायेंगे।
- (ii) विद्यालय भवनों का विकास राज्य सरकार की अन्य योजनाओं यथा - MLA LAD/MP LAD/MSDP/TSP/DMFT आदि के माध्यम से करवाया जायेगा तथा मुख्यमंत्री जनसहभागिता विद्यालय विकास योजना, भामाशाहों, दानदाताओं एवं सी.एस.आर. के माध्यम से भी विद्यालय विकास करवाया जायेगा।



- (iii) इस कार्य में जिला स्तर पर उपलब्ध कोष यथा – जिला समान परीक्षा, जिला खेलकूद कोष एवं सम्बन्धित विद्यालय के छात्रकोष/विकास कोष की राशि का उपयोग भी आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
- (iv) "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में खेलकूद सुविधाओं का विकास किया जायेगा। खेल मैदान, परिसर सौंदर्यकरण एवं वृक्षारोपण का कार्य संबंधित नगर पालिका/नगर निगम के माध्यम से किया जायेगा।

## 2. आईसीटी :

समस्त "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" में कम्प्यूटर लैब, इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी एवं कक्षा शिक्षण में आई.सी.टी एवं स्मार्ट क्लास का उपयोग किया जायेगा।

## 3. विद्यालय विकास एवं प्रबोधन समिति :

1. विद्यालय विकास एवं प्रबोधन समिति पूर्व में पंजीकृत समिति ही रहेगी, जिसका आवश्यकतानुसार पुनर्गठन किया जा सकेगा।

## 6. मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण :-

इन विद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर का होगा। इनके प्रबोधन, प्रभावी पर्यवेक्षण एवं अकादमिक सम्बलन हेतु निदेशालय में उपनिदेशक (माध्यमिक) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त कर उनको इसका उत्तरदायित्व दिया जायेगा। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर द्वारा इनके प्रबोधन एवं प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु ऑनलाइन एम.आई.एस. (शाला दर्पण) विकसित किया जायेगा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल के साथ-साथ "महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम)" का भी पर्यवेक्षण, प्रबोधन एवं संसाधनों की

उपलब्धता भी सुनिश्चित करेगी।

जिला एवं ब्लॉक स्तर पर क्रमशः जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रबोधन के लिए पदेन उत्तरदायी होंगे।

#### 7. प्रवेश प्रक्रिया :-

इन विद्यालयों में प्रवेश सैक्शन में निर्धारित संख्या के अनुसार ही दिया जा सकेगा। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में प्रवेश लॉटरी प्रक्रिया अपना कर किया जायेगा।

प्रदीप गायल  
14/04/2018  
शासन उप सचिव-प्रथम

